



XXXIX (a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक रेस्टो. 135-1115

जिला- 

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10.7.15	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अभि. के तर्कों पर विचार किया । अनुपस्थिति का कारण समाधानकारक होने से मूल प्रकरण पुनर्स्थापित किया जाता है । इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो ।</p> <p style="text-align: right;">  (एम.के.सिंह) सदस्य </p>	

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विविध प्रकरण क्रमांक :

/2015

इस्लां 1351-II-15

किरणु पुतापसिंह तनय श.ब.गोविंदसिंह
परिहार निवासी ग्राम उमहवा
तहसील गोपदबनाल जिला शेखी (म.प्र.)

—आवेदक

- विरुद्ध
- (1) सु.गोविंदा उर्फ पुमरतुआ पत्नी जान
मोहम्मद
 - (2) डानबाशलहक तनय जानमोहम्मद
निवासिगण ग्राम पडैनिगा खुर्द
तहसील गोपदबनाल जिला शेखी
- अनावेदक

श्री. विनोद भार्गव उद्ये.
उपस्थित 2-6-15 को
प्रस्तुत

प्र. 2-6-15
क्लर्क ऑफ
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 9 के अन्तर्गत
निर्मित नियमों के नियम 32 के अधीन आवेदन पत्र।

माननीय महोदय,

आवेदक का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

- 1 यह कि, आवेदक का प्रकरण क्रमांक 1298/11 माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 26/3/15 को नियत था।
- 2 यह कि, नियत दिनांक 26/3/15 को आवेदक के अधिवक्ता/अभिभाषक संघ के निर्णय अनुसार सामूहिक रूप से कार्य से विरत थे। आवेदक अपने अधिवक्ता पर आश्वस्त था। इस कारण आवेदक नियत दिनांक को 26/3/15 को उपस्थित नहीं हो सका और प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो गया। जिसकी जानकारी अधिवक्ता को मई में खारिज प्रकरणों की सूची सूचना फलक/बोर्ड पर चस्पा करने पर हुयी। जानकारी दिनांक से आवेदन समय सीमा के भीतर प्रस्तुत है।
- 3 यह कि, न्यायहित में प्रकरण पुनः स्थापित कर गुणा-गुण पर सुनवाई की जाकर निर्णय किया जाना न्यायोचित होगा।

अतएव उपर्युक्तानुसार निवेदन है कि, आवेदन स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक 1298/11 पुनः स्थापित कर गुणा-गुण पर सुनवाई किये जाने का आदेश प्रदान किया जाए।

s-1d

दिनांक 02-06-2015

स्थान-ग्वालियर

प्रार्थी
किरणु पुतापसिंह - आवेदक
(डा. उ. अभिभाषक)
आ. उ. ग्राम

